न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 956—तीन/2010 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31—12—2009 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 178/2005—2006/अपील

.....

उत्तमसिहं पुत्र रामगोपालसिहं जाति ठाकुर
निवासी ग्राम हिगोटियाई तहसील पोरसा जिला मुरैना म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1— गोतम कुमार सिहं
2— प्रीतम कुमार सिहं पुत्रगण
ग्राम हिगोटियाई तहसील पोरस जिला मुरैना म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री श्रीकृष्ण शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 1-8-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 178/2005—2006/अपील में पारित आदेश दिनांक 31—12—2009 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम महुआ स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 1598/4 रकबा 0.105 हैक्टर, सर्वे कमांक 1609/1 रकबा 0.240 हैक्टर सर्वे कमांक 1610 रकबा 0.240 हैक्टर, सर्वे कमांक 1611 रकबा 0.230 हैक्टर, अनावेदकगण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। आवेदक ने नायब तहसीलदार पोरसा के समक्ष विवादित भूमि पर उसका

नामान्तरण किये जाने बावत् आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार पोरसा ने प्रकरण कमांक 17/अ–6– /1994–95 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 13.05.95 से आवेदक का नाम विवादित भूमि पर भूमिस्वामी की हैसियत से शासकीय आभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के समक्ष अनावेदकगण द्वारा अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण कमांक 25/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.02.06 से अपील अवधि–बाह्य होना मानकर निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के न्यायालय में पेश की गई है। जहॉ प्रकरण क्रमांक 178/2005–06/अपील में पंजीबद्व होकर आदेश दिनांक 31.12.2009 को प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह को निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त के उक्त आदेश 31.12.2009 के विरूद्व आवेदक द्वारा यह निगरी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें विवादित भूमि को अनावेदक द्वारा आवेदक को मौखिक अनुबंध के आधार पर हमेशा हमेश के लिये जुता दिया था तभी से आवेदक काविज होकर काश्त करता चला आ रहा है। आवेदक द्वारा अपने नाम नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो प्र0क0 17/94अ/6अ पर पंजीवद्व की जाकर पारित आदेश दिनांक 13.05.95 आवेदक के नाम नामांतरण किये जाने का आदेश पारित किया। अनावेदक द्वारा तहसील द्वारा पारित आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के समक्ष अवधि वाहय जानकारी दिनांक 10.06.97 अपील प्रस्तुत की जो प्र0क0/71/96–97 अपील पर अवधि वाहय होने से निरस्त की गई जिसके विरूद्व आज दिनांक तक कोई अपील व निगरानी प्रस्तुत नही की गई एस0डी0ओ0 अम्बाह का आदेश अंतिम ही चुका है। अनावेदक द्वारा दूसरी पुनः तहसील के आदेश के विरूद्व अवधि वाहय अपील जानकारी दिनांक 05.10.2000 अंकित एस0डी0ओ0 अम्बाह के समक्ष प्रस्तुत की जो प्र0क025/2002–2003 अपील पर पंजीवद्व की जाकर पारित आदेश कदनांक 27.02.06 द्वारा अवधि वाहय एवं रेसज्युडीकेटा के आधार पर निरस्त कर दी गई। अनावेदक द्वारा एस0डी0ओ0 अम्बाह के आदेश के विरूद्व द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग के समक्ष प्रस्तुत की जो प्र0क178/05–06 अपील पर पंजीवद्व की जाकर अनावेदक की अपील स्वीकार

की गई विलम्व क्षमा किया तथा रेसज्युडीकेटा के सिद्वांत पर कोई विचार न कर एस0डी0ओ0 का आदेश निरस्त कर विचारण न्यायालय को गुण दोषो पर आदेश पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया। आवेदक द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग के आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्र0क0 आर.959/शुर्ब/10 पर पजीवद्व की जाकर दिनांक 10.11.10को कायमी पर बहस श्रवण की जाकर आदेश हेतु सुरक्षित रखी गयी है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के विपरीत होने से निरस्त किया जाये एवं प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जाये ।

3/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है तथा प्रकरण को गुण–दोषों के आधार पर निराकरण करने के रखा जाता है ।

4/ मेरे द्वारा आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि अनावेदक ग्राम हिगोटियाई के स्थाई मूल निवासी होकर मकान बना हुआ है। राशनकार्ड एवं विधान सभा मतदाता सूची में नाम अंकित है । अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक को कलकत्ता का मूल निवासी माना है, जबकि वह मध्यप्रदेश का मूल निवासी है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील में अनावेदक द्वारा अपना पता ग्राम हिगोटियाई तहसील पोरसा जिला मुरैना लिखा है । चूँकि अनावेदकगण ग्राम हिगोटियाई में न रहकर कलकत्ता में निवास करता है, क्योंकि वह व्यवसायरत है । इस बात की जानकारी आवेदक की थी, किन्तु तहसील न्यायालय में आवेदक द्वारा जानबुझकर यह बात छुपाई और तहसील न्यायालय को भ्रमित करके अपने हित में आदेश पारित करवा लिया गया । न्याय का सहज सिद्धांत है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार को बिना व्यक्तिगत नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित नहीं करना चाहिये। तहसील न्यायालय ने एक पक्ष को सुने बिना जो आदेश पारित किया है वह विधि के विपरीत है ।

5/ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी अनावेदकगण के अपील को अवधि बाह्य माना गया है। चूँकि अनावेदकगण कलकत्ता में रहता है तो उसे तहसील न्यायाल के आदेश की जानकारी समय पर न होना स्वाभाविक है । आवेदक ने न तो उनके कोलकत्ता के पते तहसील न्यायालय को बताये है और न ही तहसील न्यायालय ने यह जानने का प्रयास किया

है कि किस कारणवश अनावेदकगण बार–बार सूचना उपरांत अनुपस्थित है । ऐसी स्थिति में अपील मय धारा 5 के अंतर्गत अवधि विधान का आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत अपील को कालबाधित नहीं माना जा सकता । रा0नि0 2004 पृ0 109 (माननीय उच्च न्यायालय) का न्यायिक दृष्टांत है कि हितबद्ध पक्षकार को सूचना नहीं दी गई । ऐसे आदेश के विरूद्ध कालबर्जित अपील–अपील कालबर्जित होने का तर्क मान्य नहीं किया जा सकता, किन्तु अनुविभगीय अधिकारी द्वारा इन तथ्यों पर विचार ही नहीं किया और आदेश पारित कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण है । अपर आयुक्त के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में कोई भूमि नहीं की है । मैं अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश से सहमत हूँ ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.2006 त्रुटिपूर्ण है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अपर आयुक्त ने दिनांक 31–12–2009 को जो प्रत्यावर्तित का पारित किया है वह विधिसंगत होने से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी खारिज की जाती है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर